न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही।

पीठासीन अधिकारी — भारती उपाध्याय, आर.जे.एस.

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या — 1290 / 2018

सी.आई.एस. नंबर — 1290 / 2018

राजस्थान राज्य

.....अभियोगी

बनाम

1. चेतन सिंह पुत्र शंभुसिंह राव निवासी वेलांगरी पुलिस थाना अनादरा जिला सिरोही।

.....अभियुक्त।

अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–
1. अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य सरकार।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री नगेंद्र कुमार मेड़तिया, वास्ते अभियुक्त।

निर्णय

दिनांकः– 29.07.2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार प्रार्थीया प्रियंका कुमारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की शादी चेतनसिंह राव के साथ 05 वर्ष पूर्व ग्राम वेलांगरी में हुई है, उसके पति की नेल्लुर आंध्रप्रदेश में सोने चांदी की दुकान है, शादी के बाद से ही उसके पति चेतनसिंह राव, ससुर शम्भु सिंह, सास रसीला देवी, जेठ घेवरचंद व ननद भावना शादी में हैसियत अनुसार दहेज नहीं लाने की बात पर शादी के बाद से ही लगातार शारिरिक व मानसिक प्रताड़ना देकर और अधिक दहेज लाने की मांगनी कर रहे है तथा सभी ने एकराय होकर दहेज में रकम रूपये 5,00,000/– व 10 तोला सोना की मांगनी कर उसे उसके पति द्वारा मारपीट कर एक वर्ष पूर्व निकाल दिया है। प्रार्थीया के माता पिता संबंधियों ने काफी समझाईश की कोशिश की व समझाईश के लिए उसके परिवार वाले व समाज के मोजिज व्यक्तियों को साथ लेकर करीब 06 माह पूर्व आंध्रप्रदेश समझाईश के लिए गए परंतु उसके ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं है। दिनांक 03.10.2018 को पुनः समझाईश के लिए उसके परिवार वाले व समाज के मोजिज व्यक्तियों व सगे

Signature Not Verified
Signed By:ANJU KUMARI MEENA
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
LocationSTENO - III, CJM SIROHI

संबंधियों की उपस्थिति में गांव वेलांगरी में ससुराल वालो को समझाईश की परंतु दहेज की बात पर अड़े हुए है तथा ससुराल वालो ने स्पष्ट कहा है कि जब तक दहेज की रकम तथा सोना नहीं लाओगे तब तक प्रियंका को ससुराल मत भेजना। प्रार्थीया का सम्पूर्ण स्त्रीधन व जेवरात व उसके ससुराल वालो के पास ही है..... इत्यादि। उक्त आशय की रिपोर्ट पर पुलिस थाना अनादरा सिरोही में प्रकरण सं. 152/2018 अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्त चेतनसिंह के विरूद्ध धारा 498ए भा.द.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद अवलोकन अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए भा.द.सं. के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. अभियुक्त को अंतर्गत धारा 498ए भा.द.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर दिनांक 19.12.2018 को सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त आरोपों को सुन समझकर आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

03. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू 01 परिवादीया प्रियंका को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में एसपी साहब को पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, सामान की सूची प्रदर्श पी 02, थाने से सामान प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 03, मेडिकल नहीं करवाने बाबत् रिपोर्ट प्रदर्श पी 04, पुलिस बयान प्रदर्श पी 05 को प्रदर्शित करवाया गया।

04. उभयपक्ष बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः मुलजिम को दोषसिद्ध घोषित किया जावे। जिसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने तर्क प्रस्तुत किया है प्रकरण में अभियोजन की ओर से पेश गवाह **पक्षद्रोही** हुए हैं, अतः मुलजिम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जावे।

05. उभय पक्षों के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि:–

Signature Not Verified
Signed By:ANJU KUMARI MEENA
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
LocationSTENO - III, CJM SIROHI

01. क्या मुलजिम ने परिवादिया श्रीमती प्रियंका कुमारी से विवाह होने के बाद उसके पति होते हुए उसके प्रति दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की ?

02. ''यदि हां, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?''

06. उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा 01 गवाह को परीक्षित करवाया गया। परिवादिया प्रियंका कुमारी पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुई है, जो **पक्षद्रोही** घोषित हुई है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि उसका विवाह चेतनसिंह के साथ हुआ था। उसके पति व ससुराल वाले उसके साथ ठीक व्यवहार करते थे। उसके तथा उसके पति बीच कभी कभार घरेलू बातो को लेकर मन मुटाव रहता था। चेतनसिंह ने उस से कभी भी दहेज की मांग नहीं की थी केवल घरेलू बातो को लेकर मन मुटाव रहता था। उसने एसपी साहब को एक रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पेश की थी, जिसके ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा सामान की सूची दी थी, जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने थाने से अपना सामान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने मेडिकल नहीं करवाने बाबत् रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 प्रस्तुत की थी, जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किये कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 05 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखवाया था। यह कहना गलत है कि शादी के कुछ समय बाद उसके ससुराल वालो द्वारा सिखाने से उसके पति चेतन सिंह उससे दहेज में पांच लाख रूपये व दस तौला सोने की मांग को लेकर उसे तंग परेशान करते हो। यह कहना गलत है कि दहेज की मांग को लेकर उसका स्त्रीधन हड़प कर उसे प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल दिया हो। यह कहना सही है कि उसके व उसके पति के साथ राजीनामा हो गया है।

07. उक्त आरोप के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादिया पी.डब्ल्यू 1 प्रियंका कुमारी ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिए कि सात वर्ष पूर्व उसका विवाह चेतन सिंह के साथ हुआ था तत्पश्चात् वो अपने पति के साथ रह रही है। प्रार्थीया ने उसके पति व ससुराल वालो पर उसके साथ ठीक व्यवहार किए जाने का कथन किया है।

Signature Not Verified
Signed By:ANJU KUMARI MEENA
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
LocationSTENO - III, CJM SIROHI

गवाह द्वारा मात्र यह कथन किया है कि उसके व उसके पति के बीच कभी कभार घरेलू बातो को लेकर मन मुटाव रहता था। इस गवाह ने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 देने तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। रिपोर्ट के अनुसार विवाह के पश्चात् से उसके पति व ससुराल वालो द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रार्थीया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तथा उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया, किंतु परिवादीया द्वारा न्यायालय के समक्ष दी गई साक्ष्य के दौरान घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में वर्णित आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रकार प्रकरण की यह महत्वपूर्ण गवाह **पक्षद्रोही** रही है, जिसने अभियोजन पक्ष की जिरह के दौरान उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 05 में वर्णित तथ्यों, जैसे उसके पति व ससुराल वालो द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना, स्त्रीधन हड़प कर घर से बाहर निकालना आदि, पुलिस को लिखाये जाने से इनकार किया है। साथ ही घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में वर्णित कथनों से भी गवाह मुकर गई है। इस प्रकार परिवादिया जो कि पीड़िता व प्रकरण की महत्वपूर्ण गवाह है जिसने दहेज की किसी भी प्रकार की मांग तथा उसके पति द्वारा मारपीट कर तंग–परेशान किये जाने तथा प्रताड़ित कर घर से निकाल दिए जाने के तथ्यों से इनकार किया है। साथ ही परिवादिया के बयानों में ऐसा तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि उसके साथ कोई शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की गयी हो। परिवादिया **पक्षद्रोही** हुई हैं, ऐसे में अभियोजन द्वारा क्रूरता के किसी भी तथ्य को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। परिवादिया के बयानों में यह तथ्य अवश्य आये हैं कि उसके तथा उसके पति के मध्य घरेलू बातो को लेकर आपसी मनमुटाव रहता था इस संबंध में न्यायालय के विनम्र मत में घरेलू बातों को लेकर मनमुटाव को शारीरिक व मानसिक क्रूरता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

08. प्रकरण में मुख्य गवाह पीडब्ल्यू 01 प्रियंका पक्षद्रोही होने से अन्य गवाहों की तलबी बंद की गई। उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्ष परिवादिया के साथ किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्रूरता व दहेज की मांग किये जाने के तथ्यों को साबित करने में नाकाम रहा है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.द.सं. के अपराध में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Signed By:ANJU KUMARI MEENA
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
LocationSTENO - III, CJM SIROHI

आदेश

09. परिणामतः अभियुक्त चेतन सिंह पुत्र शंभुसिंह राव निवासी वेलांगरी पुलिस थाना अनादरा जिला सिरोही को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.द.सं. के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त को निर्देश दिए जाते हैं कि वह धारा 437ए सीआरपीसी के अंतर्गत 20000 रूपये की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे जो निर्णय की दिनांक से छः माह की अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(भारती उपाध्याय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही

10. निर्णय आज दिनाक **29.07.2026** को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(भारती उपाध्याय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Signed By:ANJU KUMARI MEENA
Reason:I attest to the accuracy and authenticity of this document
LocationSTENO - III, CJM SIROHI